



R. M.
 528/05
 19-11-2015

माननीय सदस्य महोदय, म.प्र. राजस्व मण्डल ग्वालियर केम्प उज्जैन (म.प्र.)

प्रकरण क्रमांक निगरानी 219-II-15

1- रमेशचन्द्र पिता स्व. मांगीलाल जी मेघवाल (चमार) उम्र :- 57 वर्ष

2- जगजीवन राम पिता स्व. मांगीलाल जी मेघवाल (चमार) उम्र :- 55 वर्ष

दोनों निवासी ग्राम थड़ोद तहसील मल्हारगढ़ जिला मंदसौर (म.प्र.)

—आवेदकगण

क्रमांक 4370

रजिस्टर्ड पोस्ट द्वारा आज
 दिनांक 27-11-15 को प्राप्त

बनाम

1- रसीद पिता गुल मोहम्मद जाति- मंसूरी आयु:- वयस्क

2- सखीर पिता गुल मोहम्मद जाति- मंसूरी आयु:- वयस्क

3- नूर मोहम्मद गुल मोहम्मद जाति- मंसूरी आयु:- वयस्क

4- बसन्तीलाल पिता अम्बालाल जाति- गायरी आयु :- वयस्क

5- श्यामसिंह पिता लक्ष्मणसिंह राजपूत आयु :- वयस्क

सभी निवासी ग्राम थड़ोद तहसील मल्हारगढ़ जिला मंदसौर (म.प्र.)

6- म.प्र. शासन

—अनावेदकगण

निगरानी अंतर्गत धारा 50 म.प्र. भू-राजस्व संहिता 1959

निगरानी विरुद्ध आदेश श्रीमान अतिरिक्त तहसीलदार
 मल्हारगढ़ के प्रकरण क्रमांक 127 बी 121/2013-14
 रशीद व अन्य बनाम बसन्तीलाल आदि में पारित
 सिमांकन आदेश दिनांक 25.07.2014 एवं इसके प्रकाश
 में किया गया सिमांकन दिनांक 04.11.2014 से
 असंतुष्ट होकर।

:- निगरानी के संक्षिप्त तथ्य :-

माननीय महोदय,

निगरानीकर्ता की ओर से निगरानी आवेदन पत्र निम्नानुसार सेवा में पेश है :-


1. ग्राम थड़ोद तहसील मल्हारगढ़ जिला मंदसौर में आवेदको के भूमि स्वामी स्वत्व व आधिपत्य की कृषि भूमि जिसका पुराना सर्वे क्रमांक 382 पैकी रकबा 0.405 आरी व इसी का नया सर्वे नंबर 382/05 रकबा 0.405 आरी व सर्वे नंबर 382/03 रकबा 1.000 हे. की स्थित है। जिसका नवीन बंदोबस्त अनुसार सर्वे नंबर 521 व 532 किया गया है और जिसका कुल रकबा

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश - ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक - निगरानी-219-दो/15

जिला- मंदसौर

स्थान एवं दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
05-12-18	<p>आवेदक की ओर से अधिवक्ता श्री ए.आर. यादव उपस्थित। आवेदक की ओर से यह निगरानी अतिरिक्त तहसीलदार के आदेश के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। म.प्र. भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुए संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत अतिरिक्त तहसीलदार द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध सुनवाई कलेक्टर द्वारा की जाना है। अतः यह प्रकरण सुनवाई हेतु कलेक्टर को भेजा जाता है। उभयपक्ष प्रकरण में सुनवाई हेतु दिनांक 24-11-18 को कलेक्टर, जिला मंदसौर के समक्ष उपस्थित हों।</p>	<p style="text-align: right;">  प्रशासकीय सदस्य </p>